राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के लिए 7 जुलाई, 2019 को जयपुर में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम

———

राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम में
भाषण देते हुए

सबसे पहले मैं राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विधान सभा के सदस्यों हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा आयोजित किए जा रहे इस प्रबोधन कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह और भी सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी इस अवसर पर पधारे और उन्होंने सदस्यों के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि हमने लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए विगत बुधवार से एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम का आधा चरण पूरा हो चुका है।

मित्रो, इस सम्मानित सभा को संबोधित करना मेरे लिए निस्संदेह गौरव की बात है। आगे और अपनी बात कहने से पहले, मुझे लगता है कि इस संस्थान के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना मेरा कर्त्तव्य है जिसने मुझे लोक सभा अध्यक्ष के उच्च पद के लिए आवश्यक अनुभव प्रदान किया है, जिसे प्रतिष्ठित सांसदों जैसे, माननीय मावलंकर जी, माननीय बलराम जाखड़ जी, माननीय संगमा जी, माननीय रवि राय जी, श्रीमती मीरा कुमार, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सुशोभित किया है। पीठासीन अधिकारियों के रूप में उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रेरणा का स्रोत है। मेरे पूर्ववर्ती प्रतिभावान लोक सभा अध्यक्षों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैं यथासंभव अपनी पूर्ण क्षमता और विचारशक्ति से सभा को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा यह अनुभव रहा है कि यदि आपका इरादा सही हो तो आपके प्रयासों के सार्थक परिणाम होंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में मैं काफी समय सभा में उपस्थित रहता हूं और मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि पहली बार चुनकर आये सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले।

परंतु, मैं इस सम्मानित सभा का हृदय से आभारी हूं जिसके कारण मैं लोक सभा अध्यक्ष के गरिमामयी पद पर आसीन हुआ हूं। मैंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं लोक सभा अध्यक्ष के उच्च पद को ग्रहण करूंगा किंतु भाग्य ने मुझे उस सम्मान का अधिकारी बनाया है। साथ ही, इस सम्मानित सभा का तीन बार सदस्य रहने से मुझे पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में बहुत सहायता मिलती है। मेरे विचार से इस उच्च पद पर मेरा आसीन होना राजस्थान राज्य, इसकी जनता और राजस्थान की विधान सभा के लिए बहुत सम्मान की बात है। यह सभा मेरे लिए एक विद्यालय की तरह है जहां मैंने संसदीय संस्थाओं, परंपराओं, पद्धतियों और पूर्वोदाहरणों के विभिन्न मौलिक पहलुओं को सीखा है। इस सभा में, भैरों सिंह शेखावत जैसे प्रतिष्ठित संसदविद् हुए हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति बने। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजस्थान की माटी के लाल संसद के पीठासीन अधिकारी बने हैं।

मुझे यह बात भली-भांति ज्ञात है कि अध्यक्ष सभा का ऐसा सदस्य होता है जो एक दल के टिकट, उसके चुनाव चिह्न, घोषणा पत्र और व्यवस्था के द्वारा निर्वाचित होता है, किंतु जैसे ही वह अध्यक्ष बनता है तो वह किसी भी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए उस दल का सदस्य नहीं रह जाता है और एक व्यापक रूप में सभा की धरोहर बन जाता है। यह हमारी संसद की एक उत्कृष्ट परंपरा है कि लोक सभा के अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से सर्वसम्मति अर्थात् सभा के सभी वर्गों की सामूहिक सहमति से चुना जाता है। यह हमारी संसदीय प्रणाली का एक अच्छा अनुभव और उदात्त परंपरा है।

मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेता हूं कि मैं इस विरासत को उच्च स्तर तक लेकर जाऊंगा और राजस्थान विधान सभा के लिए सम्मान तथा गौरव अर्जित करूंगा जिसने मेरे राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की नींव रखी। मैं शपथ लेता हूं कि राजस्थान की जनता मेरी विरासत को गौरव और सम्मान के साथ स्मरण करेगी।

मुझे लोक सभा अध्यक्ष का पद ग्रहण किए हुए दो सप्ताह से कुछ ही अधिक समय हुआ है, किंतु इन्हीं कुछ दिनों में मैंने न केवल सभा की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास किया है, अपितु सभी को, विशेषकर पहली बार चुनकर आए सदस्यों को, सभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकतम अवसर प्रदान करने का अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया है।

आपकी जानकारी के लिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि पहले सप्ताह में "शून्यकाल" के दौरान मैंने 93 नए सदस्यों को कम से कम एक बार बोलने का अवसर प्रदान किया है। 46 नवनिर्वाचित महिला सांसदों में से मैंने 37 महिला संसद सदस्यों को सभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है और मेरा प्रयास रहेगा कि इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित 264 संसद सदस्यों को सभा में बोलने का मौका दूं।

संयोग से, 2014 में पहली बार सांसद चुने जाने के पश्चात् मुझे पूरे एक वर्ष तक बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। इस अवसर से वंचित रह कर मुझे मालूम है कि किसी पहली बार चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद हो अथवा विधायक, के लिए सभा में बोलना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब सभा में आपकी ओर ध्यान दिया जाता है और लोग, विशेषकर जिन्होंने आपको चुना है, टेलीविजन पर आपको देखते हैं तो आपको संतुष्टि का भाव होता है कि आप उनकी समस्याओं के बारे में बात करते दिख रहे हैं। यह विशेषकर पहली बार चुने गए सदस्यों के लिए बहुत संतोष की बात होती है।

सभा में सदस्यों की बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि उनके पास जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का जनादेश है। सभा में सदस्यों द्वारा कही गई बातों से ही कार्यपालिका को जनता की अपेक्षाओं और अनुभवों के बारे में पता चलता है। प्रश्न काल की एक पवित्रता होती है जिसका सदस्यों द्वारा उपयोग और मंत्रियों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। यह सदस्यों के पास एक ऐसा साधन होता है जिससे वह लोगों की समस्याओं को सभा में उठाते हैं और कार्यपालिका को संवेदनशील बनाते हैं।

मित्रो, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को यह समझना चाहिए कि जनता मीडिया के माध्यम से लगातार हमारी सक्रियता अथवा निष्क्रियता को देख रही है और उसे विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा सोशल

मीडिया के माध्यम से यह पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता का स्थान सर्वोच्च होता है। इसलिए, सभा के भीतर और बाहर हमारा आचरण जनता का समर्थन अर्जित करने वाला तथा सभा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। एक प्रतिकूल सूचना हमारी छवि और दल की छवि को बहुत अधिक हानि पहुंचा सकती है। हमें ऐसे अवसरों से बचना चाहिए।

मैं इस अवसर पर इस बात पर भी बल देना चाहता हूँ कि सभा का समय अत्यन्त बहुमूल्य है। अत: इसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। सदस्यों को सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी विभिन्न नियमों से परिचित तथा भलीभांति अवगत होना चाहिए ताकि वे सभा में मुद्दों को उठाते समय सही और उचित प्रक्रिया अपना सकें।

एक जनप्रतिनिधि को पारम्परिक रूप से अनेक भूमिकाएं निभानी होती हैं। सबसे पहले वह जनता का प्रतिनिधि होता है जिसने उसे सभा के लिए चुना है। इस भूमिका में उससे यह अपेक्षा की जाती है वह जनता की आशाओं और अपेक्षाओं तथा कभी-कभी उनकी शंकाओं और कठिनाइयों को मुखरित करे एवं सरकार और कार्यपालिका से उनकी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह करे। यह सत्य है कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना सदैव संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें जनता को बताना होगा कि विद्यमान परिस्थितियों में क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। जैसा कि एक विद्वान व्यक्ति ने कहा है: "राजनीतिज्ञों को न कहना सीखना चाहिए और लोकसेवकों को हां कहना"। परन्तु, सामान्यत: इसके विपरीत होता है। हमें इस प्रवृत्ति को छोड़कर उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

एक जनप्रतिनिधि राय कायम करने वाला नेता होने के साथ ही राजनीति के क्षेत्र में जनता का मार्गदर्शक भी होता है। जनता हमसे बहुत अधिक उम्मीदें कर सकती है, परन्तु यदि हम उनसे उनकी भाषा में बात करें और उन्हें वास्तविकता बताएं तो वह निश्चित तौर पर हमारी बात समझ जाएगी।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम लोगों से उनकी बोली में बात करें। हमें लोगों से इस तरीके से बात करनी सीखनी चाहिए कि वे प्रेमपूर्वक हमारी बात सुनें और उनकी बात इस ढंग से सुननी चाहिए कि वे बेझिझक होकर अपनी बात हमसे कह सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से उनके संपर्क में रहें। लोगों से हम तभी जुड़े रह सकते हैं जब हम उनके लिए उपलब्ध हों।

हमें अपने सहायक कर्मचारियों को यह स्पष्ट अनुदेश देने चाहिए कि जिन लोगों ने हमें चुना है उन्हें बिना किसी बाधा के हमसे संपर्क करने दिया जाए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया है वह अपने पद का अनुचित उपयोग न करें और हमारी जानकारी के बिना हमारे नाम का दुरूपयोग भी न करें। बेहतर यही होगा कि आप अपने सहायकों पर नजर रखें।

सदस्य की इस भूमिका के साथ-साथ उसकी परिवर्तन और विकास के अग्रदूत के रूप में कार्य करने की भूमिका भी जुड़ी है। हमारे चारों ओर अत्यधिक मानवीय पीड़ा, भुखमरी, सामाजिक और आर्थिक तंगी है। जनप्रतिनिधि के रूप में हमें उनकी समस्याओं का समाधान करने के पूरे प्रयास करने चाहिए। प्राकृतिक आपदा के समय हमें उन तक पहुंचकर उनके बचाव के लिए कार्य करना चाहिए। लोगों को सामाजिक सेवा प्रदान करना

सभी जनप्रतिनिधियों का ध्येय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि के रूप में हमें सामाजिक सौहार्द को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए।

एक जनप्रतिनिधि की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका अपने दल के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता है क्योंकि हम उस दल के चुनाव चिह्न, घोषणा पत्र और विचार धारा के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं। परन्तु, एक बार चुनाव जीतने के बाद हम एक विशेष वर्ग के नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि बन जाते हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि राष्ट्र का हित दल के हित से ऊपर होता है।

चूंकि मैं कोटा से हूँ, अत: मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कोटा ने देश में शिक्षा के केन्द्र के रूप में असाधारण नाम कमाया है। एक छोटा सा शहर जिसके बारे में पहले कम ही लोग जानते थे, आज सभी उसके बारे में जानते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने सभा में मेरा अभिनंदन करते हुए कहा था कि कोटा वह धरती है जो एक प्रकार से आजकल 'शिक्षा का काशी' बन गया है। यह अत्यधिक सम्मान की बात है।

इस प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सभा के भीतर और बाहर उचित आचरण करके राजस्थान और उसके विधानमंडल के गौरव और प्रतिष्ठा को बना कर रखिए।

मुझे खुशी है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अनेक प्रतिष्ठित राजनैतिक नेताओं को बजट प्रक्रिया, "शून्य काल" और प्रभावी जनप्रतिनिधि कैसे बनें, आदि जैसे विविध प्रक्रियात्मक पहलुओं पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है।

मैं आपसे इस कार्यक्रम को परस्पर संवादजनक बनाने और अनुभवी विधायकों के अनुभवों से सीखने का प्रयास करने का अनुरोध करता हूँ। केवल अभ्यास द्वारा ही आप एक सफल जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। अत:, हमें सभा में उचित ढंग से बोलने की ऐसी कला सीखने का प्रयास करना चाहिए, जो सार्वजनिक बैठक में बोले जाने वाली भाषा से भिन्न है। लम्बा वक्तव्य विद्वता का परिचायक नहीं है। जिस प्रकार बहुत अधिक पत्तियां फल को ढक देती हैं, उसी प्रकार बहुत अधिक बोलने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अत: संक्षिप्तता न केवल समझ अपितु बुद्धिमत्ता को भी दर्शाती है।

मित्रो, सफलता आसानी से नहीं मिलती। यदि आप एक प्रभावी और कुशल जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी एकत्र करनी चाहिए। चूंकि आपको सभा के प्रत्येक दिन की कार्यसूची के बारे में पहले से ही पता होता है, अत: आपको वहां पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। आपको सभा में चर्चा किए जाने वाले विषयों से संबंधित सामग्री पढ़ कर आना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विधानमंडल में केवल सदस्यों के उपयोग के लिए एक सुसज्जित ग्रन्थालय होना चाहिए।

इस संदर्भ में मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि सदस्यों को विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान करने के लिए हमारी संसद में देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रन्थालय है जहां पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों आदि का बृहद संग्रह है। हमारे पास सभी क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें हैं।

प्राचीन यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है। परन्तु, आज के इन्टरनेट आधारित युग में जानकारी ही शक्ति है। जिस व्यक्ति को विषय की जानकारी होती है वह अपनी बात को सही ढ़ग से रख पाता है। ज्ञान अर्जित करना एक आजीवन प्रक्रिया है जिसका एकमात्र माध्यम अध्ययन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने संसद ग्रन्थालय को राज्य के विधायकों के लिए भी खुला रखा है। राज्यों के जनप्रतिनिधि संसद ग्रन्थालय की सदस्यता ले सकते हैं, इसके समृद्ध संग्रह से पुस्तकें उधार ले सकते हैं और विविध क्षेत्रों में उपलब्ध अद्यतन साहित्य से अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं।

अत:, मित्रो मैं आप सबको यह कहना चाहूँगा कि आप संसद ग्रन्थालय में आयें, वहां प्रदान की गईं सुविधाओं का लाभ उठाएं, वहां से प्रेरणा लें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। प्रश्न काल और शून्य काल के दौरान जानकार सदस्यों से चर्चा करते समय मंत्री भी सर्तक रहेंगे क्योंकि ऐसे सदस्य उनके द्वारा की गई भूल को आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक जानकार व्यक्ति बनने के लिए अध्ययन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। पुस्तक ही एकमात्र ऐसा उपहार होती है जिसे हम बार-बार पढ़ सकते हैं। और जब हम कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि विश्व में कहीं कोई ऐसा द्वार खुला है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अच्छा जनप्रतिनिधि बनने के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है।

इस संदर्भ में मैं पी.एन.पनिकर राष्ट्रीय अध्ययन दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि "मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के अध्ययन और ग्रन्थालय कार्यकलापों को पूरे देश मे चलाया जाए। यह कार्यकलाप केवल लोगों को शिक्षित करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय किया जाना चाहिए। अच्छे ज्ञान की बुनियाद पर बेहतर समाज का निर्माण किया जाना चाहिए।"

लोक सभा सचिवालय का एक अंग और संसद का प्रशिक्षण प्रभाग संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) एक अन्य पहलू है जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। राजस्थान विधान सभा, राजस्थान के छात्र, राजस्थान विधान सभा की कार्यवाहियों को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों का बीपीएसटी के साथ एक घनिष्ठ संबंध रहा है। वर्ष 2015 में बीपीएसटी ने राजस्थान की निर्वाचित महिला पंचायत सदस्यों के लिए एक अध्ययन दौरा आयोजित किया था।

इसी वर्ष राजस्थान विधान सभा के लिए प्रत्यायित मीडिया कर्मियों ने संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों संबंधी एक परिचय कार्यक्रम में भाग लिया। विधान सभा के सदस्य वर्ष 2010 में एक अध्ययन दौरे पर बीपीएसटी गए थे।

पिछले नौ वर्षों के दौरान परिस्थितियों में बहुत बदलाव आ चुका है। मैं आपको बीपीएसटी आने और आपके लाभार्थ स्थापित इस संस्था की सेवाओं का उपयोग करने का निमंत्रण देता हूँ। यदि आप चाहें, तो बी.पी.एस.टी. ऐसे प्रबोधन कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान विधान सभा में भी कर सकता है। इसके पास जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का बहुत अनुभव है।

आपको याद होगा हमारी संसद ने वर्ष 2016 में राजस्थान विधान सभा के सहयोग से जयपुर मे ब्रिक्स महिला सांसद मंच सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका संचालन भी बी.पी.एस.टी. द्वारा ही किया गया था।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यह आशा और विश्वास है कि यह प्रबोधन कार्यक्रम सदस्यों को नए कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक होगा।

मैं माननीय अध्यक्ष, डॉ. सी.पी. जोशी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।